सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

<u>अपील संख्याः 14/12</u> निर्णय दिनांक 21.03.2018

1. बोधराज
2. सोहनलाल
3. जड़ाव
4. चम्पा

पुत्र/पुत्रियॉ पुरखाराम जाति रेगर निवासी शिवबाड़ी तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांटस

—बनाम—

1. गोरधन पुत्र माणकराम जाति रेगर निवासी शिवबाड़ी तहसील व जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।
3. रामलाल पुत्र गोकुलराम जाति हरिजन निवासी बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

<u>अपील संख्याः 15/12</u>

1. बोधराज
2. सोहनलाल
3. जड़ाव
4. चम्पा

पुत्र/पुत्रियॉ पुरखाराम जाति रेगर निवासी शिवबाड़ी तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांटस

—बनाम—

1. भंवरलाल पुत्र हीराराम जाति नायक निवासी रिड़मलसर तहसील व जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।
3. सतपाल पुत्र जगीरसिंह जाति बावरी निवासी 28 केवाईडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपीलें विरुद्व निर्णय दिनांक 22—02—2012
जिला कलेक्टर, बीकानेर

उपस्थितः

1. श्री आर.के.दास.गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील जिला कलेक्टर, बीकानेर के निर्णय दिनांक 22—02—2012 जिसके द्वारा अपीलांट्स की अपील निरस्त की गई, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 (ए) के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. दोनों अपीलों में निर्णय किये जाने योग्य वैधानिक प्रश्न समान है इसलिए इन दोनों अपीलों को एक ही कोमन निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। इस निर्णय की एक—एक प्रति उपरोक्त दोनों पत्रावलियों पर रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पिता पुरखाराम को ग्राम शिवबाड़ी तहसील बीकानेर की रोही स्थिति खेत खसरा नम्बर 605/178 मिन तादादी 15 बीघा भूमि सवंत् 2022 में टी.सी. आवंटन हुई थी। पुरखाराम के जीवनकाल में पुरखाराम का तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलांट्स का वादगत् भूमि पर बतौर गैर खातेदार टीनेन्ट व कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादगत् भूमि पर अपीलांट्स का आज भी कब्जा काश्त बदस्तूर है तथा राजस्व रिकार्ड में भी इस प्रकार से कब्जा अंकित रहा है। राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी संवत् 2024 से 2028 तथा संवत् 2045 में पुरखाराम का नाम बतौर गैर खातेदार अंकित है। वादगत् भूमि ग्राम शिवबाड़ी उपनिवेशन क्षेत्र में आने के बाद पुराने खसरा नम्बर 605/178 तादादी 15 बीघा के नये खसरा नम्बर 143 तादादी 9.05 बीघा तथा खसरा नम्बर 144 तादादी 9.15 बीघा पैमूद हुए। वादगत् भूमि पुरखाराम की मृत्यु के उपरान्त अपीलांट्स के नाम विरासतन इंतकाल संख्या 263 दिनांक 03—07—2005 बतौर गैर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उन्होंने आगे बताया कि वादगत् भूमि के हाऊसिंह बोर्ड के अधीन जाने की स्थिति में अपीलांट द्वारा नकलें प्राप्त करने पर उसे ज्ञात हुआ कि पुराना खसरा नम्बर 605/178 जिसके नये खसरा नम्बर 143 की 9.05 बीघा

भूमि रेस्पोडेन्ट भंवरलाल व खसरा नम्बर 144 तादादी 9.15 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट गोरधन को टीसी आवंटन पर वर्ष 1976–77 में एक साल के लिए दिनांक 23–08–1976 को आवंटित कर दी गई। प्रश्नगत् भूमि जब पूर्व में ही अपीलांट्स के पिता पुरखाराम को टीसी से आवंटित थी तथा मौके पर उनका कब्जा काश्त है ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि आक्यूपाईड लैण्ड की श्रेणी की भूमि थी लिहाजा अदालत मातहत द्वारा आक्यूपाईड लैण्ड का आवंटन किया जाना गैर काननूी व विधि विरूद्व है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व कोई नोटिस जारी नहीं किया गया तथा समस्त कार्यवाही अपीलांट के पीठ पीछे एकतरफा तौर पर की गई है। जो नियम विरूद्व कार्यवाही है।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 28–07–2012 को प्राप्त हुई जब हल्का पटवारी अपीलांट की खातेदारी भूमि आये व सूचित किया कि राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि आराजीराज दर्ज कर दी गई है। उन्होंने मियांद के बिन्दु पर आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना नोटिस,

सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा बिना देरी के जानकारी से यह अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। मियांद कन्डोन के लिए धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08–10–2007 के विरूद्व अपील दिनांक 10–09–2012 को प्रस्तुत की गई है। जोकि करीब 05 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपने मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट का यह कथन कि उसे दिनांक 28–07–2012 को संबंधित पटवारी के कथन पर कि अपीलांट की खातेदारी भूमि आराजीराज अंकित कर दी गई है, अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त हुई। अपीलांट का कथन मनगढ़त एवं बनावटी है। जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। वर्ष 2007 से 2012 तक

अपीलांट द्वारा कोई जानकारी प्राप्त नहीं करना उसकी लापरवाही का द्योतक है। विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि विधि सोये हुए व्यक्ति की कोई मदद नहीं करता। अपीलांट द्वारा जो मियांद को कण्डोन करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें कोई युक्तियुक्त कारण अपील देरी से प्रस्तुत करने का नहीं बताया गया है। अपीलांट अपनी लापरवाही का फायदा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया कि प्रकरण में यह निर्विवाद है कि अदालत मातहत द्वारा पूर्व में रोचक गुप्ता को वादगत् भूमि का आवंटन किया गया था, परन्तु उक्त आवंटन अदालत मातहत द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर किया गया था। चूंकि वादगत् भूमि पूर्व ऑलोटी रोचक गुप्ता को आवंटित किये जाने के समय बीकानेर के मास्टर प्लॉन में अधिसूचित हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि का आवंटन स्मॉलपेच के तहत नहीं किया जा सकता था। अदालत मातहत द्वारा तत्समय तमाम कार्यवाही

स्मॉल पेच आवंटन नियमों के तहत की गई थी। जबकि राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार मास्टर प्लान, बीकानेर में आने वाली कृषि भूमि को आवंटन नहीं किये जाने के निर्देश है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा उक्त अधिसूचना/परिपत्रों के आधार पर रोचक गुप्ता पुत्र माणक गुप्ता को आवंटित रकबा चक नम्बर 496—150 आरडी(एल) मुरब्बा नम्बर 153/33 की 6.06 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त किया गया है जो विधि अनुसार खारिज किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) अपीलांट ने अपील के साथ धारा मियांद प्रार्थना पत्र धारा 5 मियांद अधिनियम के तहत पेश किया है। इस संबंध में विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना आवश्यक हो वहॉ liberal view should have been taken for condonation of delay. अत': अपीलांट का मियांद प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलांट द्वारा अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद धोषित की जाती है।

(2) हस्तगत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा जसवीर सिंह पुत्र सुब्बा सिंह जाति कम्बोज निवासी बीकानेर के स्माल पेच आवंटन में भूमि चक 496—150 आरडी(एल) के मुरब्बा नम्बर 153/33 की 6.06 बीघा भूमि आवंटन कराने के प्रार्थना पत्र पर संबंधित तहसीदार से रिपोर्ट एवं नक्शा प्राप्त किया गया। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चक 496—150 आरडी(एल) के मुरब्बा नम्बर 135/33 के किला नम्बर 10 से 12, 18 से 24 कुल 6.06 बीघा भूमि अनकमाण्ड आराजीराज है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित सभी पक्षकारान् को नोटिस जारी किये जाने पर सभी संबंधित पक्षकारों में से रोचक गुप्ता पुत्र माणक गुप्ता को चक 496—150 आरडी (एल) के मुरब्बा नम्बर 135/33 की 6.06 बीघा भूमि का किमतन आवंटन किया गया।

(3) प्रस्तुत मामलें में दिनांक 29—08—2007 को श्री रामेश्वरलाल द्वारा एक शिकायत अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की गई कि पटवारी हल्का नगासर ने चक 476—150 आरडी के एक मुरब्बे में पाचॅं बीघा भूमि स्माल पेच में आवंटन की रिपोर्ट करते हुए तथ्य को छिपाया है कि वह भूमि बीकानेर के मास्टर प्लान में है तथा गंगानगर जयपुर को जोड़ने वाले बाईपास पर है। पटवारी हल्का नगासर द्वारा मिलीभगत करके वादगत् भूमि रोचक गुप्ता को अलॉट करवाई है।

(4) उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र अदालत मातहत द्वारा संबंधित तहसीलदार से अपने पत्र कमांक 1499 दिनांक 30—08—2007 को शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त पत्र की पालना में तहसीलदार (भू.अ.), बीकानेर द्वारा अपने पत्र कमांक 5535 दिनांक 14—09—2007 को वादगत् भूमि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चक 496—150 आरडी(एल) वर्तमान व गत् 496—400 आरडी राजस्व ग्राम बीछवाल से बना है तथा ग्राम बीछवाल मास्टर प्लान में आता है।

(5) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत दस्तावजों यथा परिपत्रों, निर्देशों एवं आदेशों का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन व अध्ययन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि स्माल पेच आवंटन के तहत रोचक गुप्ता पुत्र माण गुप्ता को दिनांक 22—05—2006 को आवंटित की गई थी। जबकि उक्त

आदेश पारित करने से पूर्व ही ग्राम राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) सपठित धारा 2 की उप धारा (1) के बिन्दु संख्या (10) के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीकानेर के नगरीय क्षेत्र जिसमें राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है उक्त आदेश में बीछवाल भी सम्मिलित है। इस प्रकार राज्य सरकार की अधिसूचना प. 1(13)नविवि/3/72/पार्ट 11 दिनांक 21–08–2001 के द्वारा ग्राम बीछवाल नगरीय क्षेत्र में शामिल किया जा चुका था।

(6) हमारे मतानुसार जब वादगत् ग्राम/भूमि को वर्ष 2001 में ही नगरीय क्षेत्र परिधि नियन्त्रण हेतु शामिल किया जा चुका था तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस स्थिति को देखा जाना अपरिहार्य था कि क्या उक्त भूमि शहरी क्षेत्र की परिधि में होने के कारण स्माल पेच आवंटन हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर ना तो कोई गौर किया गया ना ही अपने अपीलाधीन आदेश में इस तथ्य का कोई विवेचन किया गया। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा दिनांक 22–05–2006 को किया गया स्माल पेच आवंटन विधि विरूद्व व राज्य सरकार की अधिसूचना/परिपत्रों के विपरीत किया गया आवंटन साबित है।

(7) वादगत् भूमि का कालान्तर में बिन्दु पत्नी राजकुमार व विजयदेवी पत्नी किशन गोपाल व तत्पश्चात् सीतादेवी पत्नी सत्यनारायण जाति अग्रवाल को बेचान किया जाना अपने आप में शून्य है क्योंकि अदालत मातहत द्वारा पूर्ववर्ती आवंटन ही राज्य सरकार की अधिसूचना/परिपत्रों व मंशा के विपरीत किया जाने से विधि विरूद्व आवंटन है। ऐसे आवंटन पर की गई पश्चात्वर्ती कार्यवाही अपने आप में शून्य श्रेणी की कार्यवाही है।

(8) अदालत मातहत द्वारा रोचक गुप्ता पुत्र माणक गुप्ता को आवंटित रकबा चक 496–150 आरडी(एल) के मुरब्बा नम्बर 135/33 की 6.06 बीघा भूमि का आवंटन इसी आधार पर खारिज किया गया है कि राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार वादगत् भूमि मास्टर प्लान, बीकानेर में आने वाली कृषि भूमियों को आवंटन नहीं किये जाने के निर्देश है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि जब ग्राम बीछवाल को राज्य

सरकार की अधिसूचना दिनांक 22—08—2001 से नगरीय क्षेत्र में परिधि नियन्त्रण हेतु घोषित होने तथा शहरी क्षेत्र घोषित होने से उपखण्ड अधिकारी(उत्तर), बीकानेर को इस भूमि को स्मालपेच आवंटन का अधिकार प्राप्त नहीं था। लिहाजा अदालत मातहत द्वारा दिनांक 22—05—2006 को स्मालपेच के तहत रोचक गुप्ता पुत्र माणक गुप्ता को किया गया आवंटन प्रारम्भ से ही एबइनिशियों वाईड व शून्य आदेश

की परिभाषा का आदेश था। जिसे खारिज करने में अदालत मातहत द्वारा कोई त्रूटि कारित नहीं की गई है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08—10—2007 जिसके द्वारा दिनांक 22—05—2006 को रोचक गुप्ता पुत्र माणक गुप्ता को किया गया आवंटन निरस्त किया गया है, को यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.03.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर